Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 34-2025] चण्डीगढ़, मंगलवार, दिनांक 26 अगस्त, 2025
(4 भाद्रपद, 1947 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग I	**अधिनियम**	
	कुछ नहीं	
भाग II	**अध्यादेश**	
	कुछ नहीं	
भाग III	**प्रत्यायोजित विधान**	
	अधिसूचना संख्या का०आ० 69/ह०अ०19/1986/धा० 4/2025, दिनांक 22 अगस्त, 2025– हरियाणा विधान सभा (सदस्य चिकित्सा–सुविधा) संशोधन नियम, 2025।	3041—3042
भाग IV	**शुद्धि पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन**	
	कुछ नहीं	

भाग–III

हरियाणा सरकार

संसदीय कार्य विभाग

अधिसूचना

दिनांक 22 अगस्त, 2025

संख्या का०आ० 69/ह०अ०19/1986/धा० 4/2025.– हरियाणा विधान सभा (सदस्य चिकित्सा–सुविधा) अधिनियम, 1986 (1986 का 19) की धारा 4 की उप–धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा विधान सभा (सदस्य चिकित्सा–सुविधा) नियम, 1988 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

1. (1) ये नियम हरियाणा विधान सभा (सदस्य चिकित्सा–सुविधा) संशोधन नियम, 2025 कहे जा सकते है।

(2) ये इक्कीस अप्रैल, 2025 से लागू हुए समझे जाएंगे।

2. हरियाणा विधान सभा (सदस्य चिकित्सा–सुविधा) नियम, 1988 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 2 में,–

(i) उप–नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"(1) प्रत्येक सदस्य, स्वयं के लिए, अपने परिवार के सदस्यों के लिए और पारिवारिक पेंशन का प्राप्तिकर्ता, उन चिकित्सा सुविधाओं का हकदार होगा, जो हरियाणा सरकार, स्वास्थ्य विभाग, परिपत्र संख्या 2/231/81–1 एच.बी. III, दिनांक 6 मई, 1986 द्वारा जारी किए गए अनुदेशों से पूर्व हरियाणा सरकार के वर्ग–I अधिकारी को अनुज्ञेय थी।";

(ii) उप–नियम (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"(4) प्रत्येक सदस्य, स्वयं के लिए, अपने परिवार के सदस्यों के लिए और पारिवारिक पेंशन का प्राप्तिकर्ता, उन चिकित्सा सुविधाओं का हकदार होगा, जो समय–समय पर, स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार अनुमोदित अस्पतालों के मामले में, हरियाणा सरकार के वर्ग–I अधिकारी को अनुज्ञेय थी।"।

3. उक्त नियमों में, नियम 2 के बाद, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:–

"2क. सदस्यों को नियत चिकित्सा भत्ता.– साठ वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक सदस्य दस हजार रूपए प्रतिमास की दर से नियत चिकित्सा भत्ता के लिए हकदार होंगे अथवा वे माननीय अध्यक्ष की अनुमति से वही चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त करते रहेंगे, जो उन्हें प्रथम मार्च, 1986 से पूर्व अनुज्ञेय थी।"।

अनुराग रस्तोगी,
मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

HARYANA GOVERNMENT

PARLIAMENTARY AFFAIRS DEPARTMENT

Notification

The 22nd August, 2025

No. S.O. 69/H.A.19/1986/S.4/2025.— In exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 4 of the Haryana Legislative Assembly (Medical Facilities to Members) Act, 1986 (19 of 1986), the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Legislative Assembly (Medical Facilities to Members) Rules, 1988, namely:-

1. (1) These rules may be called the Haryana Legislative Assembly (Medical Facilities to Members) Amendment Rules, 2025.

(2) They shall be deemed to have come into force with effect from the 21st April, 2025.

2. In the Haryana Legislative Assembly (Medical Facilities to Members) Rules 1988, (hereinafter called the said rules), in rule 2,-

(i) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely :-

"(1) Every member shall be entitled for himself, for the members of his family and recipient of family pension, to the same medical facilities, as were admissible to a Haryana Government Class-I Officer prior to the issue of instructions issued by the Haryana Government, Health Department letter No. 2/231/81-1HBIII, dated the 6th May, 1986." ;

(ii) for sub-rule (4), the following sub-rule shall be substituted, namely :-

"(4) Every member shall be entitled for himself, for the members of his family and recipient of family pension, to the same medical facilities, as are applicable to a Haryana Government Class-I Officer, in case of approved hospitals as per instructions issued by the Health Department from time to time.".

3. In the said rules, after rule 2, the following rule shall be inserted, namely :-

"2 A. Fixed Medical Allowance to Members.- Every member above the age of sixty years shall be entitled to fixed medical allowances at the rate of ten thousand rupees per month, or they will continue to avail the same medical facilities as were admissible to them before the 1st March, 1986, with the permission of the Hon'ble Speaker.".

ANURAG RASTOGI,
Chief Secretary to Government, Haryana.

12015—C.S.—H.G.P., Pkl.